न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / 54 / 2011

1—रेखा उम्र 35 वर्ष पुत्री श्री सीताराम जाति वैश्य निवासी जैड पी 005 कृष्णा नगर भरतपुर

2—अल्का उम्र 37 वर्ष पुत्री श्री सीताराम जाति वैश्य निवासी 128 कृष्णा नगर भरतपुर

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1—लीला उम्र 58 वर्ष पत्नी स्व0 श्री सीतराम जाति वैश्य सरकूलर रोड नये अस्पताल के पास भरतपुर

2—दीपक उर्फ अरविन्द उम्र 33 वर्ष पुत्र स्व0 श्री सीतराम जाति वैश्य सरकूलर रोड नये अस्पताल के पास भरतपुर

3—अन्जू उम्र 30 वर्ष पुत्री सीताराम पत्नी प्रदीप जाति वैश्य निवासी सरकूलर रोड नये अस्पातल के पास भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश तहसीलदार भरतपुर दिनांक 9—6—2010 बाबत नामान्तकरण संख्या 1065 चक नं.3 कस्वा भरतपुर

उपस्थित :—

1—श्री महाराजसिंह डागुर, अभिभाषक अपीलान्ट,

2— श्री दुलीचन्द शर्मा अभिभाषक रेस्पो,

निर्णय **दिनांक 17.5.2024**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 व खिलाफ नामान्तकरण संख्या 1065 दिनांक 9—6—2010 आदेश तहसीलदार भरतपुर के पेश की गई है। अपीलान्ट्स के द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 23.11.2011 को पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 1065 दिनांक 9—6—2010 रेस्पो. के हक में स्वीकार किया गया है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 23.11.2011 को पेश की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. की तलवी की गई। रेस्पो.की ओर से एड. श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित आये तथा वकालतनामा पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये जाहिर किया कि स्व0 श्री सीताराम के उत्तरवादीगण 1 व 2 के अतिरिक्त तीन पुत्रीयॉं अपीलार्थीयान एवं उत्तरवादी संख्या 3 हैं, जिन्हें बिना कोई कारण बताये अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण दर्ज करने से वंचित कर दिया गया है। जब कि उक्त पुत्रीयॉं भी प्रथम श्रेणी की वारिसान हैं और उत्तरवादी संख्या 1 व 2 के साथ समान अधिकार विरासत रखती हैं। तहत न्यायालय ने वारिसान की बिना कोई जांच किये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। वादीगण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अनुसूची मे दर्ज प्रथम श्रेणी की वारिस हैं, योग्य अभिभाषक का कथन है कि मृतक सीताराम के 3 पुत्रीया एक विधवा व एक पुत्र कुल 5 वारिसान हैं जो विवादित आराजी पर समंभाग प्रत्येक का नामान्तकरण अपने हक में स्वीकृत कराने के अधिकारी हैं। तहत न्यायालय ने विरासत की कोई जांच नहीं की और ना ही उन्हें कोई नोटिस जारी किये गये हैं, अपीलार्थीगण को बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो काबिल खारिज के है। योग्य अभिभाषक का यह भी कथन है कि अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण वसीयतनामा के आधार पर स्वीकार किया गया है वसीयतनामा को नामान्तकरण कार्यवाही में तय नहीं किया जा सकता है। अस्तु अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा मृतक का नामान्तकरण अपीलार्थीगण व उत्तरवादीगण के हक में समभाग प्रत्येक में स्वीकृत किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक ने अपने तर्को में जाहिर किया कि एक अपीलान्ट रेखा पुत्री सीताराम ने अपनी अपील विड्रो कर ली है। नामान्तकरण सही दर्ज किया जाकर विधिवत स्वीकार किया गया है जिसमें तहसीलदार ने कोई गलती नहीं की है। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण वसीयत के आधार पर खोला जाकर स्वीकार किया गया है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि अपीलान्ट ने वसीयत को सक्षम न्यायालय में चेलेन्ज किया था, जो न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 3 भरतपुर द्वारा दिनांक 24.7.2018 को अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दावा खारिज किया जा चुका है। अब वसीयत के बाबत कोई सन्देह नहीं रह जाता है। अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। पत्रावली में उपलब्ध नकुलात वगे. का अध्ययन किया गया। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 1065 दिनांक 9.6.2010 का अवलोकन किया गया, उक्त नामान्तकरण के कॉलम संख्या 14 में इन्द्राज है कि "आदेश श्रीमान तहसीलदार भरतपुर भू.अ./1351 दिनांक 6.5.2010" उक्त हो रहे इन्द्राज से यह स्पष्ट है कि विवादित नामान्तकरण तहसीलदार के आदेश क्रमांक भू.अ./1351 दिनांक 6.5.10 की अनुपालना में हल्का पटवारी द्वारा खोला जाकर तहसीलदार भरतपुर द्वारा दिनांक 9.6.2010 को स्वीकार किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध नकल सत्यप्रतिलिपि आदेश तहसीलदार भरतपुर दिनांक 6.5.2010 के अवलोकन से

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

जाहिर आया कि तहसीलदार भरतपुर ने स्व. सीताराम की वसीयत पर जांच करते हुये पटवारी हल्का को नामान्तकरण दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये हैं, इससे यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामान्तकरण स्व. सीताराम की वसीयत के आधार पर खोला जाकर स्वीकार किया गया है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का यह कथन कि वसीयत को नामान्तकरण कार्यवाही तय नहीं किया जा सकता है। पत्रावली में उपलब्ध नकल सत्यप्रतिलिपि निर्णय दिनांक 24–7–2018 न्यायालय माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–3 भरतपुर के अवलोकन से स्पष्ट आया कि अपीलान्टस द्वारा एक वाद नंबरी दीवानी संख्या 191 / 2018 उनवानी रेखा वगे. बनाम दीपक उर्फ अरविन्द वगे. के खिलाफ माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–3 भरतपुर में प्रस्तुत किया गया था जिसमें अपीलान्ट ने अपने वादपत्र बाबत घोषित किये जाने सम्पत्ति संयुक्त हिन्दू परिवार एवं अवैध घोषित करने वसीयतनामा एवं विभाजन किये जाने संयुक्त हिन्दू परिवार सम्पत्ति स्व. सीताराम का उल्लेख किया गया था। माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–3 भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 24.7.2018 से अपीलान्ट / वादी के वाद नंबरी दीवानी संख्या 191 / 2018 उनवानी रेखा वगे. बनाम दीपक उर्फ अरविन्द वगे. को खारिज किया जा चुका है। माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–3 भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 24.7.2018 के परिपेक्ष्य में वर्तमान में हम अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 1065 दिनांक 9.6.2010 में किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। तहसीलदार भरतपुर अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है। अस्तु अपील अपीलान्टस काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17–5–2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर